सहायक कुलसचिव
(सम्बद्धता)
Asst.Registrar
(Affiliation)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2221718

पत्रांक : स0कु0स0–2 B स0अ0 / 4480 / 06–441–2015 / 2015 दिनांक : 01 अप्रैल, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
सोना देवी महाविद्यालय,
किड़िहरापुर, बलिया।

विषय : **महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल संशोधन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक **01.04.2015** के सन्दर्भ में सूच्य है कि महाविद्यालय को उक्त वर्णित विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–**स0कु0स0–2B** स0अ0/4437/06–441–2015/2015 दिनांक 27 मार्च, **2015** द्वारा नामित निरीक्षण मण्डल में मा0 कुलपति जी ने डॉ0 चमन लाल, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के स्थान पर **डॉ0 अशर्फी लाल, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय**, सेवापुरी, वाराणसी को सदस्य नामित किया है जिसके अनुसार संशोधित निरीक्षण मण्डल निम्नवत है :–

1. **प्रो0 गोपाल नायक, विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी।**
2. **डॉ0 चन्द्रभूषण द्विवेदी, सकलडीहा पी0जी0 कालेज, सकलडीहा।**
3. **डॉ0 अशर्फी लाल, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी।**
4. **श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, सहायक कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।**

निरीक्षण मण्डल द्वारा एक साथ ही एक ही तिथि में महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण के समय निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का महाविद्यालय भवन (प्रत्येक व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं अन्य कक्षों) के साथ फोटो भी खिचवाये जाने की व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और फोटोग्राफ की दो प्रति निरीक्षण सदस्यों को प्रस्तुत की जायेगी जिसे निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न किया जायेगा। निरीक्षण आख्या के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके समस्त संलग्नकों तथा महाविद्यालय के निर्मित भवन की फोटोग्राफ पर निरीक्षण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर तथा अण्डरटेकिंग अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल को स्पष्ट आख्या देना अनिवार्य है :–

1. महाविद्यालय राजस्व अभिलेखों की मूल या छाया प्रतियॉं संबंधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित कराकर ही भेजेंगें। साथ हीं मूल शपथ–पत्र फोटो सहित संलग्न किये जाने पर हीं विचार किया जायेगा।
2. निरीक्षण आख्या एवं निरीक्षण प्रारूप (जो पृथक् आख्या के साथ संलग्न होता है) में यह अनिवार्यतः लिखा जायेगा कि यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो निरीक्षक सदस्य दण्ड के भागी होंगे।
3. प्रस्ताव के साथ प्रश्नगत महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम में पूर्व से उपलब्ध सीटें तथा उक्त प्रस्तावित सीटों सहित महाविद्यालय में कुल कितनी सीटें उपलब्ध होंगी। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय।
4. महाविद्यालय में पहुँच मार्ग एवं आवागमन के साधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
5. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति आदि शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000 –2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2007–2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के अनुसार की गयी है :–
   (क) शुल्क की आय को बैंक खाते में रखा गया है और सम्पूर्ण आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग शिक्षकों के वेतनादि (वेतन + सी0पी0एफ0) पर व्यय किया गया है।
   (ख) शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से किया जाता है
   (ग) टी0डी0एस0 कटौती की सप्रमाण सूचना।
6. (क) नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता वाले हैं तथा जिन शिक्षकों का अनुमोदन कराया गया है उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। शिक्षकों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय में उपलब्ध अनुमोदन प्रपत्र पर उपलब्ध छाया चित्रों (प्रतिलिपि संलग्न) से किया जाय और उसकी एक छाया प्रति संलग्न कर इस पत्र के साथ भेजी जाय।
   (ख) निर्धारित छात्र संख्या के सापेक्ष मानकानुसार विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता की सूचना।
7. शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुसार भूमि के अभिलेख उपलब्ध कराया जाना है–
   (क) महाविद्यालय की भूमि वर्तमान में लागू शासनादेश के मानकानुसार है।
   (ख) भूमि महाविद्यालय के नाम पर है।
   (ग) महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों के अनुसार ग्राम–किड़िहरापुर परगना–सिकन्दरपुर गर्वी तहसील–बेल्थरा रोड जनपद–**बलिया के अंतर्गत** गाटा सं0 **96** मि0 क्षेत्रफल 1.2460 हे0 (12460 वर्ग मीटर) भूमि राजस्व अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम अंकित है तथा भूमि संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर है।

क्रमशः 2

8. महाविद्यालय की सम्पूर्ण भूमि चहारदीवारी से घिरी हुई है तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा इत्यादि सुचिता से करायी जा सकती है। भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से कराकर संलग्न किया जाय।
9. महाविद्यालय द्वारा भेजे गये टाईम–टेबल (समय सारिणी) के अनुसार पढ़ाई करायी जा रही है/करायी गयी है।
10. प्रायोगिक विषयों में पाठ्यक्रम **(Syllabus)** में निर्धारित संख्यानुसार प्रायोगिक कार्य पूरे कराये गये हैं प्रयोगशाला के साज–सज्जा का **(Infra Structure)** विवरण।
11. (क) शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003(6)/92/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से लिया गया है और लिया जा रहा है।
    (ख) छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
    (ग) महाविद्यालय को व्यावसायिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है।
12. (क) विगत एक वर्ष/तीन वर्षों की अवधि में महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों व पत्र–पत्रिकाओं में की गयी वृद्धि का सप्रमाण विवरण।
    (ख) पुस्तकालय में इलेक्ट्रानिक मीडिया **(Internet)** की उपलब्धता तथा महाविद्यालय की वेवसाईट।
13. महाविद्यालय मे दूरभाष, कम्प्यूटर, ई मेल आदि की सुविधा की उपलब्धता की सूचना।
14. महाविद्यालय में बिजली/पानी की उपलब्धता का विवरण।
15. शासनादेश संख्या –1528/79–6–2008, दिनांक 21.07.2009 के अनुसार :–
    (क) महाविद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।
    (ख) महाविद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखें जायें और यदि रखना अति आवश्यक हो तो उन्हे सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था की गयी हो।
    (ग) महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित हो तथा कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया किया जाय/ गया हो।
    (घ) महाविद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की गयी हो। इस हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता जॉच के उपरान्त हीं प्रदान करेंगें।
16. प्राचार्य एवं शिक्षकों की मानकानुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण दल के समस्त व्यय (जिसमें टी0ए0/डी0ए0 एवं अन्य व्यय सम्मिलित है) का भुगतान महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि **महाविद्यालय के निरीक्षण तिथि से एक सप्ताह के अन्दर संलग्न प्रारूप पर** हस्ताक्षरयुक्त फोटोग्राफ सहित निरीक्षण आख्या **सचिव के माध्यम से** प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण मण्डल द्वारा संलग्न प्रारूप के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट एवं तथ्यात्मक आख्या देना अनिवार्य है। **निरीक्षण के समय सम्बद्धता के मानकों से सम्बंधित कोई कमियॉ महाविद्यालय में पायी जाय तो उनका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाय।**

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि–
1. माननीय कुलपति जी – सूचनार्थ।
2. निरीक्षक सदस्य को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर **निरीक्षण के समय भवन के चारों तरफ, व्याख्यान कक्षों, व्यायामशाला (इनडोर/आउटडोर), खेल के मैदान आदि स्थलों पर अपनी फोटों खिचवा कर स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ सहित** उपरोक्त विवरण के अनुसार अपनी विस्तृत संस्तुति/आख्या कुलपति महोदय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कुलसचिव जी।

सहायक कुलसचिव